



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 14-2018/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 25, 2018 (MAGHA 5, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 2018

संख्या 22/एसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 11 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में,—

- (क) क्रम संख्या 3 के सामने, खाना (3) की प्रविष्टि में, “सरकारी प्राधिकारी” शब्दों के पश्चात्, “या सरकारी संस्था” शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) क्रम संख्या 3 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“3क	अध्याय 99	संविधान के अनुच्छेद 243छ के अंतर्गत किसी पंचायत को या संविधान के अनुच्छेद 243ब के अंतर्गत किसी नगर पालिका को सौंपे गए किसी कार्य से संबंधित किसी क्रियाकलाप के माध्यम से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था को दिए जाने वाले माल तथा सेवाओं के संयुक्त प्रदाय जिसमें माल का उक्त संयुक्त प्रदाय का मूल्य ऐसे प्रदाय के मूल्य से 25 प्रतिशत से अधिक न हो।	शून्य	शून्य”,

- (ग) क्रम संख्या 16 के सामने, खाना (3) की प्रविष्टि में, “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “तीन वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(घ) क्रम संख्या 19 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"19क	शीर्ष 9965	भारत में स्थित किसी कस्टम्स क्लीयरेंस स्टेशन से भारत के बाहर स्थित किसी स्थान पर वायुयान के द्वारा माल का परिवहन करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	इस क्रम संख्या में दी गई कोई भी बात 30 सितम्बर, 2018 के बाद लागू नहीं होगी।
19ख	शीर्ष 9965	भारत में स्थित किसी कस्टम्स क्लीयरेंस स्टेशन से भारत के बाहर स्थित किसी स्थान पर जलयान के द्वारा माल का परिवहन करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	इस क्रम संख्या में दी गई कोई भी बात 30 सितम्बर, 2018 के बाद लागू नहीं होगी।

(ङ) क्रम संख्या 22 के सामने, खाना (3) की प्रविष्टि में, मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(ग) विद्यालय पूर्व की शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष तक को शिक्षा के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान करवाने वाली ऐसी शैक्षणिक संस्था के विद्यार्थियों, संकाय और अमले की परिवहन की सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले किसी विद्यार्थियों, संकाय और अमले के परिवहन हेतु मोटर वाहन"

(च) क्रम संख्या 29 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"29क	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	केन्द्रीय सरकार की सामूहिक बीमा योजनाओं के अंतर्गत तटरक्षक के कर्मचारियों को नवल ग्रुप इश्योरेंस फंड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली या प्रदान किए जाने के लिए सहमति दी गई जीवन बीमा सेवाएं।	शून्य	शून्य",

(छ) क्रम संख्या 36 के सामने, खाना (3) की प्रविष्टि में, मद (ग) में, "पचास हजार" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ज) क्रम संख्या 36 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"36क	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	क्रम संख्या 35 या 36 में विनिर्दिष्ट बीमा योजनाओं के पुनः बीमा के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य",

(झ) क्रम संख्या 39 उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"39क	शीर्ष 9971	किसी बहु सेवा वाले विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित वित्तीय सेवाओं के माध्यस्थ जिनका इंटरनेशनल फाइनेशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) स्टेटस हो, के द्वारा भारत के बाहर अवस्थित किसी ग्राहक को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए भारतीय रुपए से भिन्न किसी अन्य मुद्रा में दी गई सेवाएं व्याख्या.- इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, आईएफएससी में वित्तीय सेवाओं के माध्यस्थ से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, (i) जिसे भारत सरकार ने या आईएफएससी के विनियमन के लिए नियुक्त किसी विनियामक द्वारा ऐसे रूप में अनुमति या मान्यता दी है; या	शून्य	शून्य";

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(ii) जिसे विदेशी विनियमन प्रबंधन (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) विनियमन, 2015 के अंतर्गत भारत के बाहर का कोई निवासी व्यक्ति माना गया हो, या (iii) जो कि भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) दिशा निर्देश, 2015 के अंतर्गत आईएफएससी बीमा अधिकारी के रूप में पंजीकृत हो, या (iv) जिसे भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड, (सेबी) ने भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (अंतरराष्ट्रीय, वित्तीय सेवा केन्द्र) दिशा-निर्देश, 2015 के अंतर्गत ऐसे रूप में अनुमति प्रदान की हो।		

(ज) क्रम संख्या 45 के सामने, खाना (3) की प्रविष्टि में, —

(i) मद (क) में, उप मद (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उप मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(iii) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था;” ;

(ii) मद (ख) में, उप मद (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उप मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(iv) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था;” ;

(iii) मद (ग) में, उप मद (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उप मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(iii) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था;” ;

(ट) क्रम संख्या 53 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“53क	शीर्ष 9985	कृषि उत्पादों के वेयरहाउसों में धूमन के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य”;

(ठ) क्रम संख्या 54 के सामने, खाना (3) की प्रविष्टि में, मद (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित मद रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“(ज) कृषि उत्पादों के वेयरहाउसों में धूमन के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं।”

(ड) क्रम संख्या 60 के सामने, खाना (3) की प्रविष्टि में, “विदेश मंत्रालय” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ढ) क्रम संख्या 65 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“65क	शीर्ष 9991	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 22) के अंतर्गत जानकारी प्रदान करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य”;

(ण) क्रम संख्या 66 के सामने, खाना (3) की प्रविष्टि में,—

(i) मद (क) के पश्चात्, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(कक) किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रवेश शुल्क के रूप में प्रतिफल के एवज में प्रवेश परीक्षा को आयोजित करके दी जाने वाली सेवा”;

(ii) मद (ख) में,—

(क) उप मद (iv) में, “उच्चतर माध्यमिक स्तर तक” शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;

- (ख) उप मद (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—
“(v) एजुकेशनल जर्नल्स या पीरियोडिकल्स का ऑन लाइन प्रदाय”;
- (ग) परन्तुक में, “प्रविष्टि (ख)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर, “मद (ख) के उप मद (i), (ii) और (iii)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (घ) परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:—
“परंतु यह और कि मद (ख) की उप मद (v) में दी गई कोई भी बात ऐसे संस्थानों पर लागू नहीं होगी जो कि—
(i) विद्यालय पूर्व शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर तक या समकक्ष शिक्षा के माध्यम से; या
(ii) किसी अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में शिक्षा के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हों;
- (त) क्रम संख्या 77 के सामने, खाना (3) की प्रविष्टि में, मद (ग) में, “पांच हजार” शब्दों के स्थान पर, “सात हजार पांच सौ” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (थ) क्रम संख्या 81 के सामने, खाना (3) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
“निम्नलिखित में प्रवेश के अधिकार के रूप में दी जाने वाली सेवाएं—
(क) सर्कस, नृत्य या थिएटर— मंचन जिसमें नाटक या बैले भी शामिल है,
(ख) पुरस्कार समारोह, संगीत समारोह और पैजियंट प्रतियोगिता, संगीत प्रदर्शन या कोई क्रीड़ा समारोह जो कि मान्यताप्राप्त क्रीड़ा समारोह से भिन्न हो,
(ग) मान्यता प्राप्त क्रीड़ा समारोह,
(घ) तारामंडल,
जहां उपर्युक्त मद (क), (ख), (ग) या (घ) में यथा निर्दिष्ट समारोह या स्थानों में प्रवेश के अधिकार का प्रतिफल पांच सौ रुपये प्रति व्यक्ति से अधिक न हो”

आशिमा बराड़,
विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 25th January, 2018

No. 22 /ST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017,-

In the Table, -

- (a) against serial number 3, in the entry in column (3), after the words “a Governmental Authority” the words “or a Government Entity” shall be inserted;